भारत सरकार

संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *13

उत्तर देने की तारीख : 17 जुलाई, 2017

कलाकृतियों का संरक्षण

***13. श्री कृपाल बालाजी तुमाने :**

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कई संग्रहालयों में कई मूल्यवान प्राचीन कलाकृतियां खुले में पड़ी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संग्रहालय-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और संग्रहालय-वार इन संग्रहालयों में हुई चोरी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षा संबंधी मानकों की समीक्षा का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

(डॉ. महेश शर्मा)

संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17 जुलाई, 2017 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) और (ख) : आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए संग्रहालय की कुछ कलाकृतियों को खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अधीनस्थ संग्रहालयों के लिए ऐसी कलाकृतियों का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान इन संग्रहालयों से चोरी की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ड.) : भारत सरकार ने, संग्रहालयों और उनकी कलाकृतियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अपने नियंत्रणाधीन सभी संग्रहालयों के लिए एक व्यापक सुरक्षा नीति तैयार की है। सुरक्षा नीति में निहित सिफारिशों के अनुसार, सरकार ने सभी संग्रहालयों को निम्नलिखित का कार्यान्वयन करने के निदेश दिए हैं :

1. प्रवेश एवं निकास द्वारों पर स्वचालित बूम बैरियर तथा अंडर व्हीकल स्कैनर।
2. प्रवेश एवं निकास द्वारों पर कार्मिकों द्वारा तलाशी लेने और सामान की जांच करने के स्थानों का पुनर्स्थापन एवं स्तरोन्नयन।
3. सही प्रकार के हैंड हैल्ड मेटल डिटेक्टर (एचएचएमडी), डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर (डीएफएमडी) एवं सामान जांच मशीनों को अपेक्षित संख्या में उपलब्ध कराना।
4. सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से जुड़े हुए निर्धारित स्थानों पर आईपी आधारित सीसीटीवी सुविधा।
5. वांछित स्थानों पर सुरक्षा प्रकाश व्यवस्था।
6. प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश और निकास के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आईडेनटिफिकेशन डिवाइस) टैग्स का प्रयोग।
7. संग्रहालय वस्तुओं के लिए आरएफआईडी टैग्स।
8. आरएफआईडी प्रणाली के माध्यम से मुख्य प्रबंधन।
9. इन्फ्रारेड आधारित सुरक्षा प्रणाली सहित अतिक्रमी चेतावनी प्रणाली।
10. संग्रहालयों और स्मारकों हेतु समर्पित सुरक्षा बल।
11. प्रत्येक बार सभी सुरक्षा उपायों की समीक्षा एवं सुधार कार्य।
12. संग्रहालयों में सुरक्षा कार्मिकों की कार्य कुशलता सहित सुरक्षा प्रावधानों की आवधिक जांच निर्धारित करना।

अनुलग्नक - क

"कलाकृतियों का संरक्षण" के संबंध में दिनांक 17 जुलाई, 2017 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *13 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	संग्रहालय का नाम	विवरण
1.	राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली	पत्थर की 120 मूर्तियां मुक्ताकाश में तथा पत्थर की 16 मूर्तियां भीतरी खुले गोलाकार भवन में प्रदर्शित की गई हैं।
2.	इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद	आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए पत्थर की 40 खंडित मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं।
3.	भारतीय संग्रहालय, कोलकाता	पत्थर की 28 वस्तुएं खुले में प्रदर्शित की गई हैं।
4.	पुरातत्व स्थल संग्रहालय, नालंदा (बिहार), वेल्हा (गोवा), हैलेबिडु (कर्नाटक), हंपी (कर्नाटक), ऐहोल (कर्नाटक), बादामी (कर्नाटक), बीजापुर (कर्नाटक), चंदेरी (मध्य प्रदेश), ग्वालियर (मध्य प्रदेश), खजुराहो (मध्य प्रदेश), सांची (मध्य प्रदेश), कोणार्क (ओडिशा), चेन्नई (तमिलनाडु), सारनाथ (उत्तर प्रदेश), रेजीडेंसी लखनऊ (उत्तर प्रदेश), टीपू सुल्तान महल संग्रहालय, श्रीरंगपटनम (कर्नाटक), पुरातत्व स्थल संग्रहालय, अमरावती (आंध्र प्रदेश), पुरातत्व स्थल संग्रहालय, चन्द्रगिरी (आंध्र प्रदेश)	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 18 स्थल संग्रहालयों में मुक्ताकाश में 3199 पुरावस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है।

***